


राजस्थान –सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/आर-1021/19/  
दिनांक:-

आदेश

श्री रागस्वरूप वर्मा, नर्स-2, राजकीय सामान्य चिकित्सालय बून्दी का स्वयं की बीमारी का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर निम्न प्रकार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

- 1 दिनांक 23.11.18 से 22.03.19 तक – 120 दिवस (उपार्जित अवकाश)
- 2 दिनांक 23.03.19 से 05.05.19 तक – 42 दिवस (परिवर्तित अवकाश)
- 3 दिनांक 04.05.19 से 07.05.19 तक – 04 दिवस (अवैतनिक अवकाश)




(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक – 26/07/19

क्रमांक:-ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/आर-1021/19/657  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी।
- 2 नर्सिंग अधीक्षक, राजकीय जिला चिकित्सालय, बून्दी।
- 3 संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 4 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करे।
- 5 आदेश/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।